भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 150

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन

150. श्री टी. आर. बालू:

श्री आनंद भदौरिया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन, जिसकी घोषणा जनवरी, 2025 में की गई थी, को अधिसूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो छह महीने बीत जाने के बाद भी इसे गठित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और आयोग के विचारार्थ विषय क्या होंगे; और

(घ) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं (ख): सरकार द्वारा 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) को गठित करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं।

(ग): सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

(घ): 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा।

****